# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 21/12/2017

## **NOTIFICATION**

No. F. 8(42)/2016/DAM/MR/ 3586 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby nominates the following persons to be the Members of the Flower Marketing Committee (IFC), Gazipur, Delhi, namely:-

## THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. Suraj Mal Verma, : Member S/o Late Sh. Radhey Lal H- 111, Tanchwa Mohalla, Village Chilla, Delhi- 110091.

2. Sh. Raj Kumar, : Member S/o Sh. Kehari Singh C- 5/32, Sector- 11, Rohini, Delhi- 110082.

3. Sh. Udaiveer Singh, : Member S/o Late Sh. Bhopal Singh 1/5296, Street No. 11, Balbir Nagar Extn., Shahdara, Delhi- 110032.

## TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

1. Sh. Teg Singh, : Member E-177, Ashok Vihar Ph. 1, E-Block, Delhi- 110052.

2. Sh. Krishan Kumar, : Member H.No. 14/456, Dakshin Puri, New Delhi-62.



#### ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

1. Ms. Anju (Ward- 17E)

Member

#### ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

Smt. Sarita Singh, MLA 1/4435, Ambedkar Gate Wali Gali, Ram Nagar Ext., Delhi.

Member

## TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF **CONSUMERS**

1. Sh. Vijay Singh, S/o Sh. R.P. Singh 95B, Sewa Sadan Block, Mandawali Fazalpur, New Delhi- 110092.

Member

2. Sh. Mahavir Singh Tomar, S/o Late Sh. Kalu Ram H. No. 69, Maya Gali, Patwar Ghar, Village Babarpur, Shahdara, Delhi- 110032.

Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the Official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

> By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (SAKSHI MITTAL) **JOINT SECRETARY (AM)** GOVT. OF NCT OF DELHI

## No. F. 8(42)/2016/DAM/MR/3587-3661

Dated: 2/12/2012

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 9 The Chairman, Vice Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra-Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruits & Vegetable Market), Gazipur, Delhi, Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
- 13 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 14 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.

15 Guard file.

(SAKSHI MITTAL) JOINT SECRETARY (AM) GOVT. OF NCT OF DELHI

# (दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक : 21/12/2012

# अधिसूचना

सं.एफ 8(42)/2016/डी०ए०एम०/एम०आर०/३५४ दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या ७, 1999) की धारा ३६ की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्निलखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से पुष्प विपणन समिति (आई.एफ.सी.), गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

## तीन मनोनित कृषक

श्री सूरज मल वर्मा,
 सुठ स्व० श्री राघे लाल
 एच–111, तंचवा मोहल्ली,
 गांव चिल्ला, दिल्ली–110091.

 श्री राज कुमार, : सदस्य सु० श्री केहरी सिंह सी-5/32, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110082.

श्री उदयवीर सिंह,
 सु० स्व० श्री भोपाल सिंह
 1/5296, गली नं० 11,
 बलबीर नगर विस्तार शाहदरा,
 दिल्ली–110032.

## दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

श्री तेग सिंह,
 ई-177, अशोक विहार फेस-1,
 ई-ब्लाक, दिल्ली-110052.

श्री कृष्ण कुमार,
 म.न. 14/456, दक्षिण पुरी,
 नई दिल्ली–62.

भारी

## एक प्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकरण

1. कु0 अंजु (वार्ड –17ई)

सदस्य

## एक सदस्य दिल्ली विधानसभा

 श्रीमित सिरता सिंह, विधायक
 1/4435, अम्बेडकर गेट वाली गली, राम नगर विस्तार, दिल्ली. सदस्य

## दो मनोनित सदस्य उपमोक्ता हितकर वर्ग

 श्री विजय सिंह, सु0 श्री आर.पी.सिंह 95बी, सेवा सदन ब्लाक, मंडावली फेजलपुर, नई दिल्ली—110092.

सदस्य

 श्री महावीर सिंह तोमर, सु० स्व० श्री कालू राम म.न. ६९, माया गली, पटवार घर, गांव बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली–110032.

सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यमार संमालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

> उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> > (साक्षी मित्तल) संयुक्त सचिव (कृ०वि०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ 8(42)/2016/डी०ए०एम०/एम०आर०/3587-36०\

दिनांक : 21/12/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सिचव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली।
- 11 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 14 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

15 गार्ड फाईल।

मासी

(साक्षी मित्तल) संयुक्त सचिव (कृ0वि0) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार